


9 4/18 उमरपत्ता उपस्थित। P.O. साहब
अन्व प्रशासनेक कार्यों में व्यक्त है/अन्व र
है/का पद रिक्त है। पत्रावली 1/2/18 र
दि - 9/2/18 को पेश 

2 5/8 आज पत्रावली तलब करने पर पेश हुई। वकील
जायी उपर/ वकील जायी की सुना गया।
अप्राथीगण कावजुद सूचना से उपर रही है।
अतः एक तरफा कार्यवाही इतमल लाई जाती
है वकील जायी को सुना गया। अन्व सुन्या
माभला मुई का है अतः कार्य वत्र
जायी स्वीकार किया जाता है संशोधन
हुए छिड़ी जारी की जावे। पालक हुए
लक्ष्मीलक्षर बाभनवास की लक्ष्मी जारी
की जावे। पत्रावली फेजल अमर टोकर
बाद लक्ष्मीलक्षर दाखिल जावे।

उप जिला कलक्टर
बाभनवास (स० मा०)

राजस्थान सरकार
डिकरी व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत -
इजलास -

उप जिला कलेक्टर बामनवास
रामकिशोर मीना (आर0ए0एस)

1. श्यामलाल पुत्र प्रभु जाति गुर्जर निवासी सुरगढ तहसील बामनवास

- वादी -

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास
2. सीताराम पुत्र उंकार जाति महाजन निवासी सुरगढ तहसील बामनवास
3. दामोदर प्रसाद पुत्र उंकार जाति महाजन निवासी सुरगढ तहसील बामनवास
4. जगदीश प्रसाद पुत्र उंकार जाति महाजन निवासी सुरगढ तहसील बामनवास

- प्रतिवादी -

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० - 11/2017

डिकरी जारी दिनांक - 02.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी - वकील वादी श्री विजयसिंह गुर्जर एवं वकील प्रतिवादी कोई नही मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि -

1. ग्राम सुरगढ तहसील बामनवास की जमाबंदी संबत 2072 - 2075 के खाता संख्या नया 84 पुराना 80 में अंकित ख०न० 495 रकबा 0.69 हैक्टर में प्रतिवादी 2 ता 4 के नाम एवं यदि दुलीचंद पुत्र राधाकिशन भी फौत हो गया है तो मूर्तहीन के नामे हजफ किये जाकर दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार बामनवास को दिये जाते है।

यह डिकरी आज दिनांक 02.05.2018 को इस न्यायालय की ओर से जारी की गई।



उप जिला कलेक्टर
(रामकिशोर मीना) (स० मा०)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास